

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : 26()khav/payment/CA tender/2023-24-01430

हस्ताक्षरित, दिनांक

कोटेशन के लिए अनुरोध

.....
.....
.....

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम त्रैमास (Quarter) में जिला रसद अधिकारी कार्यालयों द्वारा SNA SPARSH पोर्टल के माध्यम से राशन डीलर्स को कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं को परिवहन एवं हैंडलिंग चार्जेज के भुगतान में से स्रोत पर की गई आयकर की कटौती (TDS) मुख्यालय के TAN नंबर पर प्रदर्शित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम त्रैमास (माह जनवरी से मार्च 2025) हेतु आयकर रिटर्न तैयार करने कार्यवाही की जानी है, जिसके लिए निम्न कार्य हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध आमंत्रित किया जाता है:-

(A) आयकर की त्रैमासिक रिटर्न भरना एवं सभी संबंधितों को फॉर्म नंबर 16 जारी करना।

(B) **Income Tax** से सम्बंधित मामलों पर अपनी राय (advice) देना (जब भी विभाग द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय चाही जावे)

उक्त कार्य पर 20000/- रुपये प्रति त्रैमासिक (Quarter) के हिसाब से 80000/- रुपये वार्षिक खर्च अनुमानित है। त्रैमासिक रूप से TDS रिटर्न फाइल किए जाने हेतु SNA SPARSH पोर्टल को विकसित करने का कार्य निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग के स्तर से किया जा रहा है। उक्त पोर्टल के पूर्णतया विकसित होने तक TDS रिटर्न फाइल किए जाने का कार्य मुख्यालय स्तर से चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं त्रैमासिक आधार पर उक्त पोर्टल विकसित होने तक लिए जाने के लिए RTPP Rules 2013 के नियम 24 के अन्तर्गत कोटेशन जारी होने की दिनांक से तीन दिवस में इस कार्यालय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किये जाने है।

उपायुक्त चतुर्थ
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
2. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. रक्षा पत्रिका।

